सिम्स में व्यवस्था सुधरने पर हाई कोर्ट ने जताया संतोष, पर जारी रहेगी मॉनिटरिंग

डीन डॉ. मूर्ति ने दिया है शपथ पत्र, 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

सिम्स की व्यवस्था में किए जा रहे सुधार पर हाई कोर्ट ने संतुष्टि जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि सिम्स प्रबंधन का काम सराहनीय है। हालांकि सिम्स की व्यवस्था को लेकर मॉनिटरिंग जारी रहेगी। अब 18 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। सिम्स के डीन ने 14 जुलाई और 1 अगस्त को दिए गए निर्देशों के बाद शपथ पत्र पेश किया है, बताया कि अस्पताल सेवाओं और व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। मरीजों को अब बार-बार पंजीकरण से बचाने के लिए ई-अस्पताल सिस्टम लागू किया जा रहा है। पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री विभाग से सीधे कम्प्यूटरीकृत रिपोर्ट मरीजों को दी जा रही है, जिसे जल्द ही मोबाइल पर भी भेजा जाएगा। साफ-सफाई पर नियंत्रण के लिए डेट प्रिंटेड चादरें उपलब्ध कराई गई हैं। स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर डीन और एमएस की निगरानी में वाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। सीनियर डॉक्टर और एचओडी नियमित विजिट कर रहे हैं। अस्पताल में जन्मजात मोतियाबिंद, भेंगापन, मेसेंटेरिक सिस्ट और घुटना प्रत्यारोपण जैसी जटिल सर्जरी की गईं और गरीब मरीजों का इलाज निशुल्क हुआ। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर जागरूकता अभियान भी आयोजित किया गया।

गेट से हटवाया गय बेजा कब्जा, एंबुलेंस

निजी एम्बुलेंस द्वारा गेट पर कब्जा करने की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की। हॉस्टल में बाहर से मंगाकर खाने पर रोक लगा दी गई है। अब छात्र केवल टिफिन बॉक्स का उपयोग कर सकेंगे। बाहर से आया खाना गार्ड रूम या विजिटर रूम में ही रखा जाएगा।